Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 6, October-2021, ISSN 2230-7540

अनुसूचित जातियों के राजनीतिक जीवन पर आरक्षण नीति के प्रभाव का अध्ययन

Chhatra Pal*

Assistant Professor, Department of Law, Shia P G College, Lucknow

सार – ***आरक्षण का दर्शन वास्तव में लोगों के ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए नीतियों को कवर करता है। इसमें अंतर-पीढ़ीगत न्याय का एक नोट है - पिछली पीढ़ी में उस वर्ग द्वारा किए गए नुकसान के लिए एक वर्ग को मुआवजा दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में वंचित स्थिति होती है। इसका उद्देश्य अतीत में निचली जातियों द्वारा झेले गए व्यवस्थित और संचयी अभावों को दूर करने के लिए ऐतिहासिक बहाली या मरम्मत के उद्देश्य को पूरा करना है। हालांकि यह समानता के मानदंडों से एक व्यवस्थित प्रस्थान की आवश्यकता है, अर्थात योग्यता, फिर भी इन प्रस्थानों के भेदभाव-विरोधी, सामान्य कल्याण और ऐतिहासिक अलगाव के अलग-अलग औचित्य हैं। शायद इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए टी. चिन्नला ने संविधान सभा की बहसों के दौरान अपने इस दावे को साबित करने की पुरजोर हिम्मत की कि आरक्षण 150 साल तक जारी रहना चाहिए।***

----------X----------

प्रस्तावना

भारत में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की जड़ें अतीत में गहरी हैं। सच है, एक स्वीकृत संवैधानिक नीति के रूप में आरक्षण हिंदू सभ्यता के वृक्ष द्वारा वहन किए गए फल हैं। उच्च जाति द्वारा सामाजिक स्थिति, संपत्ति और शिक्षा के एकाधिकार को बनाए रखने के लिए सदियों से पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था बनाई गई थी। हिंदू। परिणाम, संपत्ति, शिक्षा, स्वतंत्रता। निचली जातियों के लोगों को न्याय, प्रगति और समृद्धि से वंचित रखा गया था। जाति-आधारित हिंदू समाज के सभी वर्गों से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के समान अवसर भी छीन लिए गए।

जाति व्यवस्था ने आबादी के कुछ वर्गों को श्रेणीबद्ध रूप से वर्गीकृत विशेषाधिकार प्रदान किए और अन्य लोगों को कई तरह की अक्षमताएं दीं जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी जारी रहीं। विकास और विकास के अवसरों को उच्च जातियों द्वारा नियंत्रित और हड़प लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप दलितों को वंचित किया गया और उनके साथ भेदभाव किया गया, जो मजबूत द्वारा कमजोरों के शोषण और दमन के एक शक्तिशाली संस्थागत पैटर्न का प्रतीक था।

यह इस पृष्ठभूमि में है कि हमारे राष्ट्रीय चार्टर के वास्तुकारों ने अनुसूचित जातियों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण को असमानताओं को कम करने के संभावित साधनों में से एक माना है। इन जातियों को विधायी, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में सीटों के आरक्षण और आर्थिक लाभ के मामले में विशेष रियायतें दी गई हैं। संविधान निर्माताओं का प्राथमिक उद्देश्य यह था कि भारतीय आबादी के इस पिछड़े और दबे हुए वर्ग को राष्ट्रीय विकास की समग्र गति से पकड़ने के लिए त्वरित गति से मुक्त किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, भारतीय सामाजिक व्यवस्था ने तथाकथित उच्च जातियों द्वारा निचली जातियों पर सदियों से सामाजिक और आर्थिक अन्याय किया है, जिन्हें व्यवस्थित रूप से बड़े समाज के अवसरों और सुविधाओं में समान अवसर से वंचित किया गया है।

उन्हें हमेशा राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से अलग रखा गया है और सामाजिक रूप से उत्पीड़ित, आर्थिक रूप से गरीबी का जीवन जीने की निंदा की गई है, और शैक्षिक रूप से पारिवारिक व्यापार या व्यवसाय सीखने और समाज द्वारा प्रत्येक जाति और वर्ग के लिए निर्धारित शिक्षा लेने के लिए मजबूर किया गया है। . वे वास्तविक अर्थों में भारतीय व्यवस्था के सीमांत पुरुष या बाहरी व्यक्ति थे, वे समुदायों में रहते थे लेकिन इसके नहीं थे।

www.ignited.in

पूर्व-औपनिवेशिक भारत में जाति

ब्रिटिश राज के आगमन से पूर्व भी भारत सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था जिसका कारण वर्षों से चलता आ रहा सामाजिक भेदभाव था। हालांकि जाति का वर्तमान स्वरूप प्राचीन भारत में विद्यमान वर्ण व्यवस्थाश् से अलग है, जातिगत भिन्नता इसी वर्ण विभाजन पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था वर्ग (class) विभाजन पर आधारित थी। वैदिक काल में समाज तीन वर्षों में बँटा हुआ था ब्राहमण, क्षत्रिय तथा वैश्य। शूद्र वर्ण, जो कि वर्ण व्यवस्था में चौथा वर्ण है, की चर्चा उत्तरवैदिक काल में मिलती है। यह जानना भी आवश्यक है कि वैदिक काल में अस्पृश्यों को वर्ण व्यवस्था में स्थान प्राप्त नहीं था। ऋग्वेद के पुरुष-सुक्त में यह वर्णन है कि ब्राहमण वर्ण की उत्पति पुरुष के मुख से, क्षत्रिय वर्ण की भुजाओं से, वैश्य वर्ण की जाँघों से तथा शूद्र वर्ण की उत्पत्ति पुरुष के पैरों से हुई है।

वर्ण विभाजन विभिन्न वर्गों को सौंपे कर्तव्य पर आधारित है। इन चार वर्णों को मनुष्य के मूलभूत प्राकृतिक स्वभाव का हिस्सा माना गया। मनुस्मति में समाज का कार्यात्मक विभाजन मिलता है। मनु के अनुसार किये गए कार्यात्मक विभाजन में सामाजिक श्रेणीबद्धता अंतर्निहित है जहाँ ब्राहमण को सर्वोच्च तथा शूद्र को निम्नतम स्थान प्रदत है। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में लिखा है कि समाज के उचित संचालन हेतु यह आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा निर्धारित व्यवस्था का पालन करे। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं अपितु कर्म पर आधारित था। प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत में जातिगत असमानता का प्रचलन बहुत आम बात थी तथा वर्ण व्यवस्था पर प्रश्न नहीं उठाया जाता था।

औपनिवेशिक भारत में जाति

निकोलस डर्स ने जाति को एक आधुनिक घटना माना है। उन्होंने इस बात को झुठलाने की कोशिश की है कि जाति भारत की प्राचीनता का हिस्सा है। ब्रिटिश राज के दौरान भारत की विभिन्न सामाजिक पहचानों, समुदायों और संगठनों को जाति के नाम पर समझने और व्यवस्थित करने की सफल कोशिश की गई। उपनिवेशवाद पर आधारित व्यवस्था ने जाति को भारतीय समाज का प्रतीक बना दिया। जातिगत असमानता के विरोध में भारत के समाज सुधारकों के अलग-अलग विचार थे। कुछ ब्रिटिश राज को भारतीय समाज से कुरीतियों को मिटाने का माध्यम मानते थे तो कुछ उनके हस्तक्षेप को फूट डाल शासन करने का माध्यम समझते थे। प्रस्तुत खंड ब्रिटिश राज द्वारा लाए गए समाज सुधारक नियमों और सुझावों को भारतीय समाज सुधारक प्रयत्नों तथा भारत के प्रमुख राजनेताओं के संदर्भ में समझने का प्रयत्न करेगा।

भारत में आजादी के बाद (1950-2010)

सन 1963 में अनुसूचित जाति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए रिपोर्ट को स्वीकार किया गया सन 1953 में अनुसूचित जाति के लिए 12.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन सन 1960 में अनुसूचित जातियों आरक्षण बढ़ाकर क्रमशः 15 प्रतिशत कर दिया गया। सन 1969 अनुच्छेद 334 में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए दस वर्षों तक और बढ़ाने के लिए संसद और विधान मण्डलों के अन्तगर्त में अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। सन 1989 में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण तथा लोकसभा और विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व से सम्बधित व्यवस्था लागू हो जाने के 40 वर्ष बाद समाप्त हो जायेगी। अनुसूचित जातियों 40 वर्षों में पर्याप्त लाभ के लिए किया गया। किन्तु संविधान सभा के सामने इस तरह की व्यवस्था बनाते समय जो कारण थे वे ज्यों के त्यों समाज के अधीन बने हुऐ थे।

इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 334 को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी, कि अनुसूचित जाति का मनोनयन द्वारा प्रतिनिधित्व का कार्य 10 वर्ष में जारी रहेगा। 25 जनवरी 1999 तक लोक सभा और राज्य विधान सभाओं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 332 के निष्पादन में राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था गई हैं। भारतीय संविधान अधिनियम 1995 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को पदोन्नतियों की व्यवस्था है। सन 2006 निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 93 वाँ संवैधानिक संशोधन लाया गया। इसने अगस्त 2005 में सर्वोच्च न्यायलय के फैसले को प्रभावी रूप से उलट दिया। 79 वें संशोधन सन 2000 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद और राज्य विधान मण्डलों में स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था 5 जनवरी सन 2010 तक आरक्षण अवधि बढ़ा दी गयी। यहाँ केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण सीटों में से अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 7.5 प्रतिशत, अन्य पिछडे वर्गों 27 प्रतिशत आरक्षण को शामिल करके ही कुल आरक्षण सीट 49.5 प्रतिशत तक कर दिया गया हैं।

www.ignited.in

अध्ययन के उद्देश्य

1. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए संवैधानिक तंत्र का अध्ययन

2. औपनिवेशिक भारत में जाति का अध्ययन

भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति का अर्थ

अनुसूचित जाति शब्द को संविधान के अनुच्छेद 341 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 366 (खंड 24) के तहत परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद में कहा गया है अनुसूचित जातियों का अर्थ ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों या ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों के कुछ हिस्सों या समूहों से है जिन्हें इस संविधान के उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति माना जाता है। अनुच्छेद को शामिल करने का मूल उद्देश्य जन्म, धर्म, प्रथा और समुदाय के आधार पर मध्ययुगीनता से बाहर निकलकर एक शांतिपूर्ण सामाजिक क्रांति प्राप्त करना है। भारत अधिनियम, 1935।

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए संवैधानिक तंत्र

भारत के संविधान ने इस उद्देश्य के साथ मशीनरी विकसित की है कि अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सभी संवैधानिक लाभों को पूरी ताकत के साथ क्रियान्वित किया जाए। वास्तव में, अनुसूचित जातियों के कल्याण की गतिशीलता ने सभी स्तरों पर कल्याणकारी गतिविधियों के प्रभावी समन्वय के लिए एक मजबूत संरचना की मांग की। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यक रिपोर्ट और संविधान के मसौदे दोनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करने का बुद्धिमानी से प्रयास किया है।

संविधान और राष्ट्रपति को ऐसे अंतराल पर सुरक्षा उपायों के काम करने के बारे में रिपोर्ट दें जो राष्ट्रपति निर्देशित कर सकते हैं। तदनुसार, हमारे राष्ट्रीय चार्टर में अनुच्छेद 338 की परिकल्पना की गई है जो भारत के राष्ट्रपति को इस संविधान के तहत अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार देता है। विशेष अधिकारी को संवैधानिक कर्तव्य के तहत रखा गया है कि वह राष्ट्रपति को इन सुरक्षा उपायों के ऐसे अंतराल पर काम करने के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करे, जैसा कि राष्ट्रपति निर्देशित कर सकते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रपति पर विशेष अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने के लिए एक कर्तव्य भी डाला गया है।

आयुक्त की संरचना, शक्तियां और कार्य

अनुच्छेद 338 के अनुसरण में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में नामित पहला विशेष अधिकारी 18 नवंबर, 1950 को इस निर्णय के साथ नियुक्त किया गया था कि आयुक्त प्रत्येक क्रमिक कैलेंडर वर्ष में सालाना अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आयुक्त को प्रारंभ में भारत सरकार के मंत्रालय के सचिव का दर्जा दिया गया था। आयुक्त द्वारा किए जाने वाले कार्य थे।

1. संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ उस तरीके की समीक्षा शामिल है जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में निर्धारित आरक्षण को व्यवहार में लागू किया गया था।

2. अस्पृश्यता और अविवेकपूर्ण भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य के विशेष संदर्भ में नागरिक अधिकारों के संरक्षण के कार्यान्वयन का अध्ययन करना।

3. लागू कानूनों में बाधाओं को दूर करने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के आयोग के लिए लेखांकन के लिए सामाजिक-आर्थिक और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए उपायों सहित उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए अपराधों की त्वरित जांच सुनिश्चित करें।

4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रदान किए गए किसी भी सुरक्षा उपायों से इनकार करने के संबंध में व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करना।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के कामकाज से पता चलता है कि उसने 1980 के अंत तक सत्ताईस रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं। हालाँकि, वर्ष 1981-1986 के दौरान उस वर्ष के लिए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी क्योंकि कार्यालय आयुक्त का पद 24.11.1981 से 10.2.1986 तक रिक्त रहा है। 23 नवंबर, 1988 को लगभग सात वर्षों के अंतराल के बाद अट्ठाईसवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

www.ignited.in

थी। हालांकि, वह अवधि एक तरह से अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्टों में भी शामिल थी और अनुसूचित जनजाति जिन्हें भारत सरकार, 1978 द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से समान कार्य सौंपा गया था। आयुक्त 1 सितंबर, 1987 तक आयोग के पदेन सदस्य थे, जब इसे अलग-अलग कार्यों के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में गठित किया गया था।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में संवैधानिक सुरक्षा उपायों के व्यापक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए गंभीर प्रयास करने का प्रयास किया, जिसमें उनके वैध दायरे, सही प्राथमिकताएं और तेजी से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में तात्कालिकता की अपेक्षित भावना शामिल है। आयुक्त ने संस्थागत व्यवस्था, कानूनी समर्थन और प्रशासनिक कार्रवाई के संदर्भ में समानता और न्याय से संबंधित बुनियादी मुद्दों पर राज्य की प्रतिक्रिया की एक सामान्य समीक्षा और जांच करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। इन प्रतिवेदनों में उन सभी उपायों को शामिल किया गया है जो सरकार द्वारा शुरू से ही विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में किए गए हैं जिनमें विशिष्ट सुरक्षा उपाय शामिल हैं जिनके महत्वपूर्ण परिणाम मिले हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट के अध्ययन से पता चलता है कि सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों ने बड़े वित्तीय परिव्यय और इन योजनाओं के तहत औपचारिक रूप से कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या के बावजूद खराब उपलब्धियां दिखाईं। विस्तार एजेंसी और विकास प्रशासन ने गरीबों को अपने पारंपरिक व्यवसाय के नए संस्करण के लिए तैयार करने और संगठित बाजार से निपटने के लिए आवश्यक संगठनात्मक समर्थन दोनों में विफल कर दिया था।

यद्यपि पशुपालन और कुक्कुट पालन कार्यक्रम जैसी योजनाओं से अनुसूचित जातियों के सीमांत किसानों की आय के पूरक का एक प्रमुख स्रोत और भूमिहीन लोगों को एक नया आर्थिक आधार प्रदान करने की उम्मीद की गई थी, फिर भी रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि गरीब लोग नहीं कर सके कार्यक्रमों के दोषपूर्ण डिजाइन के कारण इन अवसरों का लाभ उठाएं, जिसने गरीब आदमी को ध्यान में नहीं रखा बल्कि उन्हें दूसरों पर निर्भर बना दिया। इसलिए आयुक्त ने सुझाव दिया कि भारत सरकार को एक व्यापक नीति तैयार करनी चाहिए जो स्पष्ट रूप से एक व्यापक रणनीति तैयार कर सके। राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए समान स्थान सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए।

आयुक्त ने बताया है कि राज्य सरकारों ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की त्वरित जांच और पर्यवेक्षण के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की और अधिनियम में निहित भावना के अनुसार अनुसूचित जातियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के उपाय करने के लिए समितियों का गठन किया। यह देखा गया है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने अस्पृश्यता प्रवण गांवों की पहचान की है। अस्पृश्यता की बुराई को मिटाने और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए प्रचार अभियान लगभग सभी राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लिया गया था। इसके अलावा, राज्य सरकारों ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15(ए)(2)(बीएल) के तहत आने वाले किसी विशेष वर्ग के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की। रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि कुल मामलों की संख्या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत, वर्ष 1981-85 के दौरान 19,378 था। रिपोर्ट के अनुलग्नक से पता चलता है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत दर्ज मामलों की संख्या 1981 में 4085 थी और वर्ष 1986 के दौरान 3332 तक कम हो गई थी, वहां से देखा जा सकता है कि इन के पंजीकरण में गिरावट की प्रवृत्ति थी।

आयोग की संरचना, शक्तियां और कार्य

कार्य की भयावहता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आयोग की स्थापना की जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में जाना जाता है, जो कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार, संकल्प है। संख्या 13013/9/77/एससीटी(एल) दिनांक 21 जुलाई, 1978 में एक अध्यक्ष और चार से अधिक अन्य सदस्य शामिल नहीं हैं। श्री भोले पासवान शास्त्री, सदस्य, राज्य सभा ने 15 अगस्त 1978 को आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया।

21 जुलाई 1978 के संकल्प संख्या 13013/9/77/एससीटी/(एल) में उल्लिखित आयोग के कार्य हैं-

1. संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ उस तरीके की समीक्षा शामिल होगी जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में निर्धारित आरक्षण को व्यवहार में लागू किया जाता है।

www.ignited.in

2. पांच वर्षों की अवधि में अस्पृश्यता को दूर करने और उससे उत्पन्न होने वाले व्यक्ति के भेदभाव के उद्देश्यों के विशेष संदर्भ में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन का अध्ययन करना।

3. लागू कानूनों में बाधाओं को दूर करने को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के आयोग के लिए लेखांकन के लिए सामाजिक-आर्थिक और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए और सुनिश्चित करने के उपायों सहित उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए अपराधों की त्वरित जांच।

निष्कर्ष

भारत सरकार ने देश में गरीबी और असमानता की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भूमि सुधार उपायों पर विशेष ध्यान दिया है। बिचौलिए काश्तकारों के विकास, लगान के नियमन, पट्टेदारी की सुरक्षा और काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने, भूमि जोत की सीमा और अधिशेष भूमि के वितरण, जोत के चकबंदी और भूमि अभिलेखों के संकलन सहित काश्तकारी सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप घोषित अधिशेष भूमि में से 40.43 लाख एकड़ में से विभिन्न राज्यों में 80.40 करोड़ का वितरण किया गया, जिससे 13.34 लाख परिवारों को लाभ हुआ, जिनमें से लगभग 7.23 लाख अनुसूचित जाति के थे। सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों को मुफ्त आवास स्थल प्रदान करने पर भी विशेष ध्यान दिया है जिसके परिणामस्वरूप 7.7 मिलियन भूमिहीन परिवारों को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में आवास स्थल आवंटित किए गए थे और शेष 6.8 मिलियन परिवारों को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कवर किया गया था। संसद ने संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 को अस्तित्व में लाया है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यालय को राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है। आयोग को अधिनियम के खंड (5) में संदर्भित किसी भी मामले की जांच करने के लिए विशाल शक्तियां निहित हैं। यह सिविल कोर्ट की शक्तियों के साथ निहित है। राष्ट्रीय आयोग ने 12 मार्च 1992 से राम धन की अध्यक्षता में अपना कामकाज शुरू कर दिया है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि आयोग ने कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है, हालांकि दो रिपोर्ट संसद के समक्ष मंजूरी के लिए लंबित हैं और दो और रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्रीनिवास, एम0एन0, (2016) आधुनिक भारत में जाति, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली

2. माइकल, एस0, एम0, (2015) “आधुनिक भारत में दलित” सेज पब्लिकेशन्स

3. कुमार, डॉ0 कश्यप आलोक, (2013) भारत में अनुसूचित जातियाँ (कल और आज) अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस

4. सिंह, उभय प्रसाद, (2015), समकालीन भारत में विकास की प्रक्रिया और सामाजिक आन्दोलन, ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

5. शर्मा, डॉ0 सुरेन्द्र कुमार, (2007) “संविधान और सरकार, डिस्कवरी पब्लिशिगं हाउस, नई दिल्ली

6. शर्मा, डॉ0 दयाल शंकर (1995), प्रतिष्ठित भारतीय, प्रभाव प्रकाशन, नई दिल्ली.

7. शर्मा, डॉ0 योगेन्द्र कुमार, (2001) “भारतीय राजनीतिक विचारक, ओमेगा पब्लिकेशन्स,

8. कुसुम, डॉ0 यदुलाल, (2006), दलित शिक्षा का परिदृश्य, कल्पज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली,

9. पाण्डेय, कुमार राजेन्द्र, (2012), आधुनिक भारतीय चिंतन, “रावत पब्लिकेशन्स.

10. सिंह, डॉ0 रामगोपाल, (1999) “सामाजिक न्याय लोकतंत्र जाति व्यवस्था”, रावत पब्लिकेशन्स,नई दिल्ली,

11. कुमार, डॉ. राजेन्द्र, (2002) “ग्रामीण समाजशस्त्र, एडलान्टिक पब्लिकेशन्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली

Corresponding Author

Chhatra Pal*

Assistant Professor, Department of Law, Shia P G College, Lucknow

www.ignited.in